<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 42/2022 (उदयपुर डिक्री)</u>

पप्पूसिंह पिता स्वर्गीय खुमाणसिंह राजपूत, निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. बाबूलाल पिता भगवतीलाल दर्जी, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
2. मदनलाल पिता संतोषलाल चौबीसा, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
3. शान्तिलाल पिता जसराज नागदा जैन, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
4. नारायणसिंह पिता स्वर्गीय सादुलसिंह राजपूत, निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
5. अभयसिंह पिता स्वर्गीय सादुलसिंह राजपूत, निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
6. सज्जनसिंह पिता स्वर्गीय सादुलसिंह राजपूत, निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती गुलाब कुंवर पत्नी स्वर्गीय सादुलसिंह राजपूत, निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
8. शिवसिंह पिता स्वर्गीय पदमसिंह राजपूत, निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती प्रेम कुंवर पत्नी स्वर्गीय फतहसिंह राजपूत, निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
10. नेपालसिंह पिता स्वर्गीय खुमाणसिंह राजपूत (फतेसिंह), नाबालिग बविलायत माता श्रीमती प्रेम कुंवर पत्नी स्वर्गीय फतहसिंह राजपूत, निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान का.अ. 1955 विरुद्ध निर्णय डिक्री सहायक कलक्टर भीण्डर दिनांक 08.04.2022 प्रकरण सं. 843/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:13 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– 1– श्री महेन्द्र मेनारिया अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक रे.सं. 1 से 3

3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 24–07–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोपालपुरा में खाता संख्या 36 नई 44 पुरानी की आराजी नंबर 73, 74, 75 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा एवं आराजी नंबर 138, 139 मी. रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नारायणसिंह, अभयसिंह, सज्जनसिंह पिता सादुलसिंह, गुलाब कुंवर बेवा सादुलसिंह 1/3, खुमाणसिंह पिता डूलेसिंह 1/3, लालसिंह, शिवसिंह, करणसिंह, फतेसिंह पिता पदमसिंह 1/3 के नाम दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 14–12–2011 से जरिये विक्रय उक्त आराजियात में लालसिंह, करणसिंह पिता पदमसिंह 1/6 के बजाय बाबूलाल पिता भगवतीलाल दर्जी, मदनलाल पिता संतोषलाल चौबीसा 1/6 दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन पक्षकारान मौके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण ने अपनी भूमि के चारों ओर पक्की बाउण्ड्रीवाल बनाकर फाटक लगा रखी है। प्रतिवादीगण बिना विभाजन कराये अजनवी व्यक्तियों को लाकर विक्रय करने पर उतारू हैं तथा वादीगण के कब्जे की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू हैं। अतः पक्षकारान के मध्य विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31–01–2014 को वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 03–07–2015 को अंतिम डिक्री जारी की, जिस पर प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा [illegible] पेश किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20–06–2016 को स्वीकार करते हुए संशोधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश दिया। तत्पश्चात् दिनांक 20—04—2017 को प्रतिवादी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अंतिम डिक्री दिनांक 03—07—2015 की पालना हेतु तहसीलदार को लिखे जाने का आदेश पारित किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 21—04—2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 13/2017 प्रस्तुत की गयी, जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 11—06—2018 को प्रकरण पुनः इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड की गयी कि अधिनस्थ न्यायालय अपने रिव्यू आदेश दिनांक 20—06—2016 की पालना में अधिकृत अधिकारी से विभाजन प्रस्ताव तलब करें तथा अपीलान्ट की आपत्तियों का विधिक निस्तारण कर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करें।

न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13—08—2018 को प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 19—07—2021 को प्रार्थी शान्तिलाल द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 03—03—2022 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर शान्तिलाल पिता जसराज नागदा को पक्षकार बनाया गया तथा तहसीलदार द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 08—04—2022 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 6 ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 07—06—2022 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि [illegible] प्रस्ताव के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 [illegible] मुख्य सड़क से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:13 IST
Reason: SelfAttested

लगती हुए मंहगी भूमि खसरा नंबर 138, 139 मी. में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 को दे दी है, जो विभाजन नियमों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने विभाजन में अपीलान्ट को लगभग 9 बिस्वा भूमि कम दी है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 अजनवी क्रेता होकर अविभाजित भूमि क्रय कर सहखातेदार बने हैं, जबकि अपीलान्ट का उसके पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है इसलिए कब्जे का सिद्धान्त सहखातेदारी की भूमि पर लागू नहीं होता है तथा प्रत्येक ईंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है तथा विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री निरस्त की जावे तथा विधिवत विभाजन करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2005 (2) Page 955, RRT 2018-19 (Supp.) Page 497, RRT 2005 (2) Page 1126, RRT 2011-12 (Supp.) Page 698 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के आधार विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में बनाये गये फर्द बंटवारे के आधार पर जो तथ्यात्मक रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है, उसके अनुसार आराजी नंबर 73–74–75 के पश्चिमी भाग पर अपीलान्ट पप्पूसिंह का कब्जा होकर पत्थर की कोट बनी हुई है तथा अन्य प्रतिवादीगण द्वारा अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त किये जाने का अंकन है एवं प्रतिवादीगण का कब्जा आराजी नंबर 138 व 139 मी. पर नहीं पाया गया है, बल्कि आराजी नंबर 138 व 139 मी. पर कब्जा वादी बाबूलाल का उसके 1/6 हिस्से अनुसार होकर उसकी पक्की बाउण्ड्रीवाल होना पाया गया है तथा अन्य प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के समय से बंटवारे अनुसार काबिज पाये गये हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि फर्द बंटवारा बनाते समय मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:13 IST
Reason: SelfAttested

आपसी बंटवारे अनुसार पूर्व के कब्जे को ध्यान में रखा गया है तथा कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने पर सभी पक्षकारों ने अपनी सहमति भी दी है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सभी पक्षकारों को तहसीलदार भीण्डर द्वारा सूचित किया गया है, जिस सूचना पत्र पर स्वयं अपीलान्ट पप्पूसिंह के हस्ताक्षर हैं तथा दिनांक 02–03–2020 को बंटवारा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार भीण्डर द्वारा तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकट से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 08–04–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 24–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:13 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** .....

पप्पूसिंह पिता स्व. खुमाणसिंह राजपूत, निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर बनाम **बाबूलाल पिता भगवतीलाल दर्जी, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰.....**42/2022**.....**व नाराजगी डिगरी अदालत .....सहायक कलक्टर..... ...भीण्डर..... मुकाम..**.....मुवर्खे.....**.....08**.....माह.....**04**.....**2022**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**24**....माह.....**07**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री महेन्द्र मेनारिया**.....मिनजानिब अपीलान्ट व..... **श्री पन्नालाल मारू** ..

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 08–04–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**24**.....माह.....**07**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:13 IST
Reason: SelfAttested